

	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY मंडल कार्यालय DIVISIONAL OFFICE कार्मिक विभाग PERSONNEL DEPARTMENT किंग्सवे, नागपुर KINGSWAY, NAGPUR - 440001.
---	--

कार्यालय आदेश क्र. एनपीबी/आरसीटी/09/2025 दिनांक- 24.03.2025
OFFICE ORDER- NO. NPB/RCT/09/2025 , DATE: 24.03.2025

इस कार्यालय के रोजगार सूचना क्रमांक P/NGP/RCT/2024/6 Dated- 17.02.2025 व Dated- 25.02.2025 की प्रतिक्रिया में, दिनांक 05.03.2025 को ऑनलाइन साक्षात्कार के आयोजन के क्रम में, मंडल रेल प्रबंधक/द.पू.म.रे./नागपुर के अनुमोदन से, निम्नलिखित डॉक्टरों (सीएमपी) को पूर्णकालिक सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमपी) के रूप में नियुक्ति के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें द.पू.म.रे. के नागपुर डिवीजन में सीएमएस/एसईसीआर/एनएजी के अधीन अनुबंध के आधार पर हेल्थ युनिट/डोंगरगढ़, हेल्थ युनिट/छिंदवाडा व फर्स्ट ऐड पोस्ट(वर्कशॉप) /मोतीबाग /नागपुर में तैनात किया जाएगा।

PURSUANT TO CONDUCT OF ONLINE INTERVIEW ON DATED 05.03.2025, IN RESPONSE TO THIS OFFICE EMPLOYMENT NOTICE No. P/NGP/RCT/2024/6 DATED- 17.02.2025 AND DATED 25.02.2025, WITH THE APPROVAL OF THE DIVISIONAL RAILWAY MANAGER / SECR/ NAGPUR, THE FOLLOWING DOCTORS (CMPs) ARE EMPANELLED FOR ENGAGEMENT AS FULL TIME GENERAL DUTY MEDICAL OFFICERS (CMPs) TO BE POSTED AT HEALTH UNIT/DONGARGARH, HEALTH UNIT/CHHINDAWARA, FIRST AID POST(WORKSHOP)/ MOTIBAGH/NAGPUR ON CONTRACT BASIS IN NAGPUR DIVISION OF SECR UNDER CMS/SECR/NAG.

GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER (ON REGULAR MEASURE):-

SRL NO.	NAME OF THE DOCTOR (DR.)	COMMUNITY	DATE OF BIRTH	POST
1.	Dr. Kashmira Patle	OBC	13.08.1995	CMP (GDMO)
2.	Dr. Subhash Shriram Shamkuwar	SC	28.02.1964	CMP (GDMO)
3.	Dr.Rajesh Prajapati	SC	07.11.1995	CMP (GDMO)

THE FOLLOWING Three (03) MEDICAL OFFICERS (**SRL.NO.4 TO SRL NO. 6**) ARE PLACED IN **STANDY BY LIST** OF THE PANEL:

SRL NO	NAME OF THE DOCTOR (DR.)	COMMUNITY	DATE OF BIRTH	POST
4.	Dr.Kamal R. Chhabrani	-----	29.06.1973	CMP(GDMO)
5.	Dr. Himanshu Nirjesh Verma	OBC	27.04.1995	CMP(GDMO)
6.	Dr. Dussa Sahithi	OBC	26.03.1994	CMP(GDMO)

नोट :

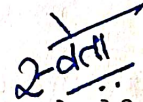
NOTE:

- ऊपर क्र. 4 से क्र. 6 तक के स्टैंडबाई चिकित्सा अधिकारियों के नाम पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब नियमित माप पर सूचीबद्ध चिकित्सा अधिकारियों (क्र. 1. से क्र. 3) ने जॉईनिंग होने के लिए रिपोर्ट नहीं की हो।

THE NAME OF THE STANDBY MEDICAL OFFICERS AT **SRL. NO. 4 TO SRL.NO.6** ABOVE WILL BE CONSIDERED ONLY IF THE MEDICAL OFFICER EMPANELLED ON REGULAR MEASURE (SRL. NO. 1 TO SRL. NO. 3) DID NOT REPORT FOR JOINING.

24/3

- यह उम्मीदवारों के उचित चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त घोषित होने के अधीन है।
THIS IS SUBJECT TO THE CANDIDATES ADJUDGED SUITABLE IN THE APPROPRIATE MEDICAL EXAMINATION.
- यह उन्हें रेलवे में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। नियमित आईआरएचएस डॉक्टरों के रेलवे में शामिल होने के तुरंत बाद यह अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
THIS WILL NOT CONFER THEM ANY RIGHT FOR REGULAR APPOINTMENT IN THE RAILWAYS. THIS CONTRACT WILL BE TERMINATED IMMEDIATELY AFTER REGULAR IRHS DOCTORS JOIN THE RAILWAYS.
- उपरोक्त उम्मीदवारों के नाम योग्यता के क्रम में व्यवस्थित हैं।
THE NAMES OF THE ABOVE CANDIDATES ARE ARRANGED IN ORDER OF MERIT.
- इसे डीआरएम/एनएजी की मंजूरी प्राप्त है।
THIS HAS THE APPROVAL OF DRM/NAG.


 (स्वेता एचके छोरीया)
 मंडल कार्मिक अधिकारी
 कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी
 द.पू.म.रेलवे, नागपुर
 दिनांक : 24.03.2025

क्र. पी/एनजीपी/आरसीटी/2024/6

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/बिलासपुर, प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/ बिलासपुर
- (2) डीआरएम के निजी सचिव, एडीआरएम (ओ)।
- (3) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /नागपुर, वरि.मं.वित्त प्रबंधक /नागपुर
- (4) कार्यालय आदेश फ़ाइल
- (5) मु.कार्या.अधीक्षक (राज.)/नागपुर


 कृते वरि.मं.कार्मिक अधिकारी/नागपुर